

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 29(अ).—जबकि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि औषध ऑक्सीटोसिन का कतिपय चिकित्सीय स्थितियों में एक निश्चित चिकित्सीय उपयोग है;

और जबकि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि देश में इसके दुरुपयोग को जनहित में रोकने के लिए उक्त औषध के निर्माण, बिक्री व बितरण को विनियमित व प्रतिबंधित करना आवश्यक और उचित है।

अतः अब केंद्रीय सरकार औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देती है कि औषध ऑक्सीटोसिन को उक्त अधिनियम व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त नीचे विनिर्दिष्ट किए गए ढंग से बिक्री अथवा संवितरण अथवा बेचने के लिए विनिर्मित किया जाएगा, अर्थात्:—

1. बल्क ऑक्सीटोसिन औषध के निर्माता औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत उक्त औषध के सूत्रीकरणों (फार्मूलेशनों) के निर्माण के लिए केवल लाइसेंसशुदा निर्माताओं को ही इस क्रियाशील भेषजीय औषध की आपूर्ति करेंगे।
2. पशु-चिकित्सीय उपयोग के लिए अभिप्रेत औषध योगों को केवल पशु-चिकित्सा के अस्पतालों को ही बेचा जाएगा।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से ही लागू हो जाएगा।

[फा. सं. 18-11/2013-डीसी/डीएफक्यूसी]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2014

G.S.R. 29(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the drug Oxytocin has a definite therapeutic use in certain medical conditions;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to regulate and restrict the manufacture, sale and distribution of the said drug in the country to prevent its misuse in public interest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby directs that the drug oxytocin shall be manufactured for sale or for distribution or sold in the manner specified below, in addition to the provisions contained in the said Act and Rules made thereunder, namely :—

1. The manufacturers of bulk oxytocin drug shall supply the active pharmaceutical drug only to the manufacturers licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 for manufacture of formulations of the said drug.
2. The formulations meant for veterinary use shall be sold to the veterinary hospitals only.

The order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 18-11/2013-DC/DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.